की भी आवश्यकता पड़ती है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ,

(ग) क्या हमारा देश अपने यहा बने टेलीफोन एक्सचेज बोर्डों और टेलीफोन उपकरणों का निर्यात करता है और यदि हा, तो किन देशों को इनका निर्यात किया जाता है , और

(घ) निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) और (ख) टेलीफोन एक्सचेज की स्थापना हेतु स्वीचिंग उपस्कर, तार और केबिल, पावर सप्लाई बैटरियां इत्यादि विविध सामान की काफी मात्रा में आवश्यकता होती है । क्रासबार, स्ट्रोजर और हस्तचल किस्म के टेलीफोन स्वीचिंग उपस्कर देश में ही उत्पादन किया जाता है । विविध प्रकार के तार, केबिल और पावर सप्लाई और बैटरियों का भी स्वदेशी उत्पादन होता है । उनके उत्पादन में कुछ आयातित कच्चे माल और घटकों का प्रयोग किया जाता है ।

इतने पर भी इस समय देश की कुल उत्पादन क्षमता पर्याप्त नहीं है । इस कमी को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के टेलीफोन एक्सचेन्ज के उपस्करों और अन्य सामान के लिए आयात का सहारा लेना पड़ता है ।

अभी हाल में कुछ उपस्करों के आयात की जो योजना बनाई गई है उनमें ये शामिल हैं —

(i) स्थानीय एक्सचेन्ज ।

(ii) ट्रंक स्वचालित एक्सचेज ।

(iii) लघु क्षमता स्थानीय टेलीफोन केबिल ।

(iv) पी० सी० एम० जंकशन उपस्कर इत्यादि ।

(ग) जी हां । 1978–79 के दौरान टेलीफोन एक्सचेज की स्थापना हेतु निश्चित किस्म के टेलीफोन एक्सचेज स्वीचिंग और अन्य उपस्कर भारतीय टेलीफोन उद्योग द्वारा आस्ट्रेलिया, भूटान, बर्मा, नेपाल, श्रीलंका, नाईजीरिया, मसकट, दुबई, कुवैत, जार्डन, और सूडान को निर्यात किए गए ।

(घ) 1978–79 के दौरान दूरसंचार उपस्करों के निर्यात द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा की कुल राशि लगभग 1 6 करोड़ है ।

गुजरात में भालनलकांठा खेड़त मण्डल, सर्वोदय आश्रम, गुंदी

10621. श्री धर्मसिंह भाई पटेल : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या गुजरात के अहमदाबाद जिले में भालनलकांठा खेड़त मंडल, सर्वोदय आश्रम गुंदी के एक प्रतिनिधि मंडल, ने मार्च, 1979 में उनसे मुलाकात की थी और उन्हे 16 मांगों का एक मांग पत्र दिया था ,

(ख) यदि हां, तो मांगवार उसका संक्षेप में ब्योरा क्या है ,

(ग) इन मांगों में से किन किन को कब और कैसे स्वीकार किया जाएगा तथा स्वीकार की जाने वाले मांगों का ब्योरा क्या है ;

(घ) किन मांगो का स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस प्रतिनिधि मंडल के साथ क्या बात चीत की गई थी क्या उन्हे इस सम्बन्ध में कोई लिखित उत्तर दिया गया है और यदि हां, तो कब और उसका ब्योरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख). गुजरात के

अहमदाबाद जिले में भालनलकंठा खेडूत मंडल, सर्वोदय आश्रम, गुदी के प्रतिनिधि मंडल तथा अध्यक्ष से कृषि जिन्सों के लाभकर मूल्यों के बारे में दिनांक 1-3-79 को एक ज्ञापन प्रधान मंत्री के कार्यालय तथा इस मंत्रालय को प्राप्त हुआ था। ज्ञापन में दी गई मांगें संक्षेप में इस प्रकार हैं:—

1. कृषि मूल्य आयोग को समर्थन मूल्य निर्धारित करने से पहले पारिवारिक श्रम, व्यवस्था पर आने वाली लागत तथा मौसम के उतार चढाव, कृमियों रोगों आदि से फसलों को अक्सर होने वाली क्षति को भी ध्यान में रखना चाहिए।

2. जहां तक कपास का सवाल है सरकार को मानव निर्मित रेशों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने, कपास का एक बफर स्टाक सृजित करने और निर्यात के कोटे में वृद्धि करने, निर्धारित अवधि के लिए कपडा मिलों द्वारा कपास का प्रयोग करने से सम्बन्धित प्रतिबंध को हटाने जैसे उपाय करने चाहिए।

3. क्वालिटी, रंग, पोषण महत्व आदि को ध्यान में रखते हुए विभिन्न किस्मों के गेहूं के लिए अलग अलग मूल्य निर्धारित करना। विभिन्न श्रेणी के गेहूं के लिए अलग अलग मूल्य प्रचलित है, अतः यह कार्य जरूरी है।

4. कृषि जिन्सों के मूल्य, कृषि आदानों और कृषक समाज की घरेलू जरुरियात की चीजों के मूल्यों के अनुरूप होनी चाहिए।

5. सिंचाई सहित सभी कृषि आदानों के लिए समान मूल्य नीति होनी चाहिए और ईंधन लुब्रीकैन्ट आदि के लिए राज-सहायता दी जानी चाहिए। जो कृषक कुंवें आदि के निर्माण में धन लगाते हैं उन को लगाई गई धनराशि तथा आवर्ती लागत के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए।

6. ऐसे क्षेत्रों में वर्षा के पानी के लिए उपयुक्त आकार के हौजों का बड़ी संख्या में निर्माण किया जाना चाहिए ताकि सिंचाई के लिए उनका उपयोग हो सके।

7. सरकार, को विशेषकर सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए, निर्माण कार्य हाथ में लेने चाहिए।

8. कमजोर वर्गों के लिए रोजगार की व्यवस्था द्वारा क्रय शक्ति का सृजन करना ताकि वे अपनी खाद्य सम्बन्धी एवं अन्य आवश्यकताएं पूरी कर सकें।

9. [illegible] मिलों के लिए और लाइसेंस नहीं जारी किए जायें, और खादी तथा हथकरघे का विकास किया जाये। इसी प्रकार साबन बनाने, टाइल बनाने, चमड़ा तैयार करने, कागज बनाने आदि जेसे कृषि पर आधारित उद्योगों का भी ग्रामीण क्षेत्रों में विकास किया जाए ताकि रोजगार के अवसर मिल सकें।

10 पशुपालन तथा डेरी उद्योग के कार्यकलापों का विस्तार आदिवासी तथा अन्य पिछड़े क्षेत्रों में भी किया जाए।

11. फसल बीमे की योजना को, जो राज्य के कुछ जिलों में कपास तथा मूंगफली की फसलों के लिए लागू है, अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रीमियम की दरें "न लाभ, न हानि" के आधार पर निर्धारित की जाए।

(ग), (घ) और (ङ). खेडूत मण्डल सर्वोदय आश्रम के ज्ञापन में उठाई गई बातों

का सम्बन्ध कई अन्य मंत्रालयों से भी है जैसे उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग तथा सांख्यिकी विभाग। जहां तक श्रम द्वारा उठाये गये प्रमुख मुद्दों का सम्बन्ध है, विभिन्न फसलों के लिए अलग अलग मूल्य निर्धारित करने और विभिन्न फसलो के लिए खेती की लागत आदि पर सरकार विचार कर रही है। इस सम्बन्ध मे कृषि मूल्य आयोग के विचारणीय विषयों मे उपयुक्त परिवर्तन लाने के लिए पहले से ही विचार किया जा रहा है। उत्पादन सम्बंधी विभिन्न परिस्थितियों के तहत प्रमुख कृषि जिन्सो के उत्पादन की लागत का आकलन करने के लिए अपनाई गई प्रणाली में बेहतरी लाने के लिए डा० एस० आर० सेन की अध्यक्षता मे एक समिति भी गठित की गई है। इस ज्ञापन की प्रतियां विभिन्न अधिकारियो को विचार एवं आवश्यक कार्यवाही करने के लिए भेजी जा रही है। ज्ञापन में दिए गए विभिन्न सुझावों और मांगों के बारे में कोई लिखित उत्तर नही भेजा गया है।

जूनागढ़ में केन्द्रीय विद्यालय खोला जाना

10622. **श्री धर्म सिंह भाई पटेल :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में जूनागढ़ शहर मे एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने के बारे में हिन्दी समाज, जूनागढ ने शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री को अक्तूबर, 1978 में दो बार तथा 25 अक्तूबर, 1978 को केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षा अधिकारी को तथा 4 दिसम्बर, 1978 को सहायक आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली को अनुरोध के साथ लिखा था;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में विलम्ब के क्या कारण हैं और जूनागढ़ में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के बारे में हिन्दी समाज को कब तक मंजूरी दी जायेगी; और

(घ) क्या जूनागढ़ में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के बारे में गुजरात राज्य के शिक्षा मंत्री से कोई सिफारिश प्राप्त हुई है; यदि हा, तो कब और उसका ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) से (घ). केन्द्रीय/राज्य सरकार के कर्मचारियों/बैंक कर्मचारियों आदि की शैक्षिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए जूनागढ़ में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए हिन्दी समाज, जूनागढ़ से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। सामान्यत: ऐसे प्रस्ताव को भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग या राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित किए जाने की आवश्यकता होती है। समाज के अनुसार राज्य सरकार द्वारा इस प्रस्ताव की कथित रूप से सिफारिश की गई है परन्तु यह प्राप्त नही हुई। तथापि, समाज से प्राप्त राज्य सरकार के पत्र की प्रतिलिपि से प्रतीत होता है कि राज्य सरकार ने उस प्रस्ताव को केवल अग्रेषित ही किया है और सुविधाएं (जैसे कि नि:शुल्क भूमि, जब तक संगठन उक्त भूमि पर स्कूल के भवन का निर्माण नही कर लेता तब तक स्कूल चलाने के लिए आवास) उपलब्ध कराने के लिए सहमति नहीं दी है और केन्द्रीय विद्यालय शुरू करने के लिए ये सुविधाएं प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा पूर्व अपेक्षा के रूप में उपलब्ध कराना आवश्यक है। अत: वर्तमान रूप मे उस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता। फिर भी, प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार से संबंधित सूचना भेजने का अनुरोध किया